रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 2012/आषाढ़ 4, 1934
No. 151] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 2012/ASADHA 4, 1934

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

"अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (विश्वविद्यालयों की तकनीकी संस्थाओं के मानकों के अनुरक्षण एवं निरीक्षण के लिए सूचना) विनियम, 2012"

फा. सं. एस.ओ. 37-3/विधिक/2012.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों तथा तकनीकी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 1992 द्वारा अधिसूचित नियमों का प्रयोग करते हुए, अभातशिप के (तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं के विभागों तथा विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं के मानकों के अनुरक्षण एवं निरीक्षण के लिए सूचना) विनियम, 2010 संख्या 37–3/विधिक/2010 दिनांक 16 मार्च, 2010 द्वारा अधिसूचित तथा भारत के राजपत्र संख्या 83 में दिनांक 07 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित किए विनियमों के अधिक्रमण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ

1.1 इन विनियमों को अभातशिप (विश्वविद्यालयों की तकनीकी संस्थाओं के मानकों के अनुरक्षण एवं निरीक्षण के लिए सूचना) विनियम, 2012 कहा जाएगा।

1.2 ये इस विनियम की धारा 2(iv) में परिभाषित की गई तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे।

1.3 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं

(i) "विहित" से अभिप्रेत परिषद् द्वारा अभातशिप अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अधीन जारी किसी विनियम/अधिसूचना में 'विहित' से है ;

(ii) "आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" अभिप्रेत है ;

(iii) "परिषद्" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" अभिप्रेत है ;

(iv) "तकनीकी संस्थाओं" से अभिप्रेत हैं :

क. विश्वविद्यालयों के तकनीकी परिसर तथा तकनीकी स्कूल/तकनीकी विभाग/तकनीकी संस्थाएं,

ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) अधिनियम 1956 की धारा (3) के अधीन घोषित मानित विश्वविद्यालयों के तकनीकी परिसर तथा तकनीकी स्कूल/तकनीकी विभाग,

ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उनके मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के तकनीकी परिसर तथा तकनीकी स्कूल/तकनीकी विभाग,

घ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) अधिनियम 1956 की धारा 2(च) तथा 12 ख के प्रावधानों के अधीन संबंधित राज्य अधिनियम के अन्तर्गत घोषित राज्य विश्वविद्यालयों के तकनीकी परिसर तथा तकनीकी स्कूल/तकनीकी विभाग,

ड़. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर किन्ही भी प्रावधानों के अंतर्गत घोषित अन्य किसी विश्वविद्यालय के तकनीकी परिसर तथा तकनीकी स्कूल/तकनीकी विभाग।

(v) "तकनीकी विभाग" से अभिप्रेत इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबन्धन, भेषजी और अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प और ऐसे ही अन्य कार्यक्रम अथवा क्षेत्रों, जिन्हें केन्द्र सरकार परिषद् के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचित करे, में शिक्षण और/अथवा शोध में लगे विश्वविद्यालय के शिक्षण और शोध विभाग से है ;

(vi) "तकनीकी स्कूल" से अभिप्रेत इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबन्धन, भेषजी और अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प और ऐसे ही अन्य कार्यक्रम अथवा क्षेत्रों, जिन्हें केन्द्र सरकार परिषद् के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचित करे, में शिक्षण और/अथवा शोध में लगे विश्वविद्यालय के शिक्षण और शोध स्कूल से है ;

(vii) "तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय की ऐसी घटक संस्था से है, जो तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम प्रस्थापित करती है तथा इसके अंतर्गत ऐसी अन्य संस्थाएं शामिल होंगी, जिन्हें केन्द्र सरकार परिषद् के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तकनीकी संस्थाएं घोषित करे ;

(viii) "विश्वविद्यालय" से अभातशिप अधिनियम 1987 की धारा 2 की उपधारा (झ) में परिभाषित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

3.

3.1 विश्वविद्यालयों की तकनीकी संस्थाएं तथा मानित विश्वविद्यालय घोषित की गई संस्थाएं/निजी विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय परिषद् द्वारा वांछित सूचनाएं, परिषद् के वेब–पोर्टल यू.आर.एल. www.aicte-india.org पर उपलब्ध निर्धारित प्ररूप में परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट अंतरावधि में अपलोड करेंगे।

3.2 उपरोक्त विनियम 3.1 में उल्लिखित सूचना की हार्ड कॉपी भी निर्धारित प्ररूप में परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

3.3 विश्वविद्यालयों की तकनीकी संस्थाओं तथा मानित विश्वविद्यालय घोषित की गई तकनीकी संस्थाओं/निजी विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों में से जो भी, परिषद् द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक वांछित सूचनाएं परिषद् को प्रस्तुत नहीं करते हैं, वे परिषद् द्वारा दी जाने वाली किसी भी वित्तीय सहायता और किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। परिषद् ऐसी व्यतिक्रमी (डिफाल्टिंग) तकनीकी संस्थाओं के विरूद्ध उचित समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई कर सकती है।

3.4 परिषद् विश्वविद्यालयों की ऐसी तकनीकी संस्थाओं से संबंधित अपने जाँच परिणामों को उनके द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई हेतु, केन्द्र सरकार तथा/अथवा संबंधित राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी सूचित करेगी।

3.5 परिषद् विश्वविद्यालयों की तकनीकी संस्थाओं तथा मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं/निजी विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करने तथा उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी शिक्षा के मानकों के सुनिश्चितकरण हेतु उनका निरीक्षण कर सकती है।

3.6 परिषद् संबंधित विश्वविद्यालय को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् विश्वविद्यालयों की ऐसी तकनीकी संस्थाओं तथा मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं/निजी विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों के नाम अपनी अधिकारिक वेब–साईट पर प्रकाशित करेगी, जो

परिषद् के विचार से परिषद् द्वारा निर्धारित तकनीकी शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण नहीं कर रहे हैं और/अथवा तकनीकी शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण हेतु परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए सन्नियमों/मानकों/नीतियों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

3.7 परिषद् विश्वविद्यालयों की तकनीकी संस्थाओं तथा मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं के संबंध में अपनी संस्तुतिओं सहित, अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट, उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु, केन्द्र सरकार और/अथवा संबंधित राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत में संबंधित प्रत्यायन निकाय/एजेन्सी को भी देगी।

डॉ. के. पी. आईजैक, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/162/12/असा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2012

"All India Council for Technical Education (Information for Maintenance of Standards and Conduct of Inspection of Technical Entities of Universities) Regulations, 2012."

F. No. S.O. 37-3/Legal/2012.—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 and Section 11 of the All India Council for Technical Education (AICTE) Act, 1987(52 OF 1987), and Rules for inspection of Technical Institutions and Universities notified by the Government of India vide Notification dated 10th August, 1992 and in supersession of the AICTE (Information and Conduct of Inspection of Technical Institutions, Departments of the Universities and Institutions declared as Deemed to be University and Universities and institutions declared as deemed to be University) Regulations 2010 notified vide Notification No. 3.O.37/Legal/2010 dated 16th March 2010 as published in the Gazette of India No. 83 dated April 7, 2010, All India Council for Technical Education makes the following regulations:-

1. Short Title, Application and Commencement

1.1 These regulations may be called AICTE (Information for Maintenance of Standards and Conduct of Inspection of Technical Entities of Universities) Regulations, 2012."

1.2 They shall apply to technical entities as defined in Clause 2(iv) at these Regulations.

1.3 They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(i) "Prescribed" means prescribed by the Council in any of its Regulation/Notification issued under the provisions of the AICTE Act, 1987;

(ii) "Commission" means the University Grants Commission established under Section 4 of the University Grants Commission Act, 1956;

(iii) "Council" means All India Council For Technical Education established under Section 3 of the All India Council for Technical Education Act, 1987;

(iv) "Technical Entities" means:

A. Technical Institutions/Technical Departments/ Technical Schools and Technical Campuses of the Universities,

B. Technical Department/Technical Schools and Technical Campuses of the Deemed to be Universities declared under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956,

C. Technical Department/Technical Schools and Technical Campuses of Private Universities established under the provision of UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003

D. Technical Department/Technical Schools and Technical Campuses of State Universities declared under concerned State Act under the provisions of section 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956.

E. Technical Department / Technical Schools and Technical Campus of any other University declared under any of the provision of State / Central Government from time to time.

(v) "Technical Department" means the teaching and research department of the University engaged in teaching and/or research in engineering technology, architecture, town planning, management, pharmacy and applied arts and crafts and such other programme or areas as the Central Government may, in consultation with the Council, by notification in the Official Gazette;

(vi) "Technical School" means the teaching and research school of the University engaged in teaching and/or research in engineering technology, architecture, town planning, management, pharmacy and applied arts and crafts and such other programme or areas as the Central Government may, in consultation with the Council, by notification in the Official Gazette;

(vii) "Technical Institution" means a constituent institution of the University which offers courses or programmes of technical education, and shall include such other institutions as the Central Government may, in consultation with the Council, by notification in the Official Gazette, declare as technical institutions;

(viii) "University" means a University defined under sub-section (i) of Section 2 of the AICTE Act, 1987.

3.

3.1 The technical entities of the Universities and technical institutions declared as Deemed to be University / Private University / State University shall upload such information, as desired by the Council, in the format prescribed on the web portal of the Council at URL : www.aicte-india.org. at such an intervals as specified by the Council.

3.2 The information referred to in Regulation 3.1 above may also be submitted as hard copy to the Council in the prescribed format.

3.3 The technical entities of the Universities and technical institutions declared as Deemed to be University / Private University / State Universities, who shall not submit the information to the Council by the date prescribed by the Council, shall not be entitled for any financial or any other kind of assistance from the Council. Council may take any such action as it may deem fit against defaulting technical entities.

3.4 The Council shall also report its finding in respect of the technical entities of the universities to the Central and/or State Government concerned and the University Grants Commission for necessary action as deemed necessary."

3.5 The Council may cause an inspection of the technical entities of the Universities and technical institutions declared as Deemed to be University / Private University / State Universities, to verify the information furnished by them and to ascertain the standards of technical education.

3.6 The Council after giving due opportunity to the concerned University to explain its position shall publish the names of such technical entities of the Universities and technical institutions declared as Deemed to be University / Private University / State Universities on its official website, who in its opinion are not maintaining the standards of technical education as prescribed by the Council and/or not following the norms/standards/ policies laid down by the Council from time to time for maintaining the standards of the technical education.

3.7 The Council shall also report, its findings along with its recommendations in respect of the technical entities of the universities and institutions declared as Deemed to be University to the Central and/or State Government concerned, the University Grants Commission and the relevant accreditation bodies/agencies in India for necessary action at their end.

Dr. K. P. ISAAC, Member Secy.

[ADVT. III/4/162/12/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.